रालसा वन एवं बालिका वर्ष 2025

# सृजन की सुरक्षा

## A Scheme for Eco-Feminism

Rajasthan State Legal Services Authority

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

रालसा वन एवं बालिका वर्ष 2025

# सृजन की सुरक्षा

## A Scheme for Eco-Feminism

Rajasthan State Legal Services Authority

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

# रालसा वन एवं बालिका वर्ष 2025 'सृजन की सुरक्षा'

## A Scheme for Eco-Feminism

➢ **Preamble:**

Recognizing the intrinsic link between the well-being of nature, revered as 'mother' for all beings, and women, worshipped as 'Matra Shakti' (mother power), and acknowledging the disadvantaged position both face in contemporary society, the Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA) hereby launches a scheme for Eco-Feminism 'सृजन की सुरक्षा 2025'. Inspired by the Piplantri model[1] (a village in District Rajsamand) and aligned with the principles of Eco-Feminism, this scheme aims to empower women and protect the environment through a collaborative and community-centric approach, leveraging the existing legal services framework.

➢ **Vision:**

To foster a society in Rajasthan where women are empowered, the girl child is valued and protected, and the environment is conserved and cherished, recognizing the interconnectedness of their well-being.

➢ **Mission:**

To implement a pilot project in selected Gram Panchayats across the 36 District Legal Services Authorities (DLSAs) in Rajasthan, focusing on preventing female foeticide, promoting girl child education, combating offences under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, and promoting environmental conservation through community participation and legal awareness. The Pilot projects would thereafter be replicated in other Gram Panchayats after assessment and evaluation of the scheme.

# रालसा वन एवं बालिका वर्ष 2025 'सृजन की सुरक्षा' ईको–फेमिनिज्म के लिए एक योजना

## ➢ प्रस्तावना:

'माँ' के रूप में पूजी जाने वाली प्रकृति और 'मातृ शक्ति' के रूप में पूजी जाने वाली महिलाओं के बीच अंतर्निहित संबंध को महत्व देते हुए, तथा समकालीन समाज में दोनों की वंचित स्थिति को स्वीकार करते हुए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) द्वारा ईको–फेमिनिज्म के लिए एक योजना 'सृजन की सुरक्षा 2025' प्रारम्भ की जा रही है। पिपलांत्री मॉडल' (राजसमंद जिले का एक गाँव) से प्रेरित, ईको–फेमिनिज्म के सिद्धांतों के साथ, इस योजना का उद्देश्य मौजूदा कानूनी सेवा ढ़ांचे का लाभ उठाते हुए एक सहयोगी और समुदाय–केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना एवं पर्यावरण की रक्षा करना है।

## ➢ परिकल्पना:

राजस्थान में एक ऐसे समाज को प्रोत्साहित करना, जहाँ महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, बालिकाओं को आगे बढ़ाया जाए तथा पर्यावरण को संरक्षित और पोषित किया जाए और सभी के हित के लिए उनके परस्पर संबंधों को महत्व देते हुए कार्य किया जाए।

## ➢ प्रयोजन:

राजस्थान के सभी 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में चयनित एक–एक ग्राम पंचायत में एक पायलट परियोजना को लागू करना, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराधों की रोकथाम करना और सामुदायिक भागीदारी और विधिक जागरूकता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है। इस योजना के आंकलन एवं मूल्यांकन के पश्चात् पायलट परियोजनाओं को अन्य ग्राम पंचायतों में भी लागू किया जाएगा।

## ➢ Objectives:

- Preventing Female Foeticide and Promoting Girl Child Education: To actively work towards eliminating the practice of female foeticide and ensuring access to quality education for every girl child in the selected Panchayats.
- Combating POCSO Offences: To create awareness about the POCSO Act and establish mechanisms for prevention, reporting, and providing support to victims in the selected Panchayats.
- Promoting Environmental Conservation: To foster a culture of environmental responsibility by linking the birth of a girl child with tree plantation and promoting community involvement in green initiatives.
- Empowering Women through Legal Awareness: To enhance legal awareness among women and marginalized communities regarding their rights, entitlements, and available legal aid services.
- Strengthening Grassroots Engagement: To establish a strongconnect between the legal services institutions and the Gram Panchayats, the primary unit of civic administration, for effective implementation and outreach.
- Providing Access to Justice: To extend the reach of legal services to the most marginalized sections of society, ensuring access to necessary assistance in matters of health, education, social protection, and legal recourse.

## ➢ Implementation Strategy:

The 'सृजन की सुरक्षा' will be implemented through the following key activities:

## ➢ उद्देश्यः

- <u>कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देनाः</u> कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को समाप्त करने और चयनित पंचायतों में प्रत्येक बालिका के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना।

- <u>पोक्सो अपराधों की रोकथामः</u> पोक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करना और चयनित पंचायतों में रोकथाम हेतु व्यवस्था विकसित करना, सूचना देना एवं पीड़ितों को सहायता प्रदान करना।

- <u>पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देनाः</u> बालिका के जन्म को वृक्षारोपण से जोड़कर और हरित कार्ययोजना में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना।

- <u>विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनानाः</u> महिलाओं और शोषित समुदायों के बीच उनके अधिकारों, पात्रताओं और उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं के बारे में कानूनी जागरूकता को बढ़ाना।

- <u>जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करनाः</u>प्रभावी कार्यान्वयन एवं पहुँच के लिए विधिक सेवा संस्थानों और नागरिक प्रशासन की प्राथमिक इकाई ग्राम पंचायतों के मध्य एक मजबूत संबंध स्थापित करना।

- <u>न्याय तक पहुँच प्रदान करनाः</u> समाज के मुख्य शोषित वर्गों तक विधिक सेवाओं की पहुँच का विस्तार करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और विधिक उपाय के मामलों में आवश्यक सहायता तक पहुँच सुनिश्चित करना।

## ➢ क्रियान्वयन योजनाः

'सृजन की सुरक्षा योजना' को निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगाः

✧ **Selection of Panchayats:** Each of 36 DLSAs of the State, with prior approval of RSLSA, will identify one Gram Panchayat within their jurisdiction to serve as pilot project locations, based on relevant socio-economic indicators and potential for community participation.

✧ **Awareness and Education Programs:**

The DLSAs will organize regular awareness campaigns and educational programs in the selected Panchayats focusing on:

- The importance of valuing the girl child and the illegality of female foeticide.
- The significance of education for girls and available educational opportunities.
- Provisions and protection mechanisms under the POCSO Act.
- Environmental conservation and the benefits of tree plantation.
- Legal rights and entitlements of women and children.
- The role and functions of the DLSA and available legal aid services.

These programs will utilize various methods such as community meetings, workshops, street plays, distribution of informative materials, and engagement of local influencers.

✧ **Green Initiative - Plantation Drive:**

- The DLSAs, in collaboration with the respective Panchayats and the State Forest Department, will initiate a program of planting a minimum of eleven (11) saplings upon the birth of every girl child in the selected Panchayats.
- The responsibility for the initial care and nurturing of these saplings will be encouraged through community participation, potentially involving the family of the newborn girl and local women's groups.

✧ **पंचायतों का चयनः** राज्य के सभी 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से,प्रासंगिक सामाजिक–आर्थिक आधार और सामुदायिक भागीदारी की क्षमता का मूल्यांकन कर अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में एक–एक ग्राम पंचायत की पहचान करेंगे, जिनमें यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जाएगी।

✧ **जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमः**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चयनित पंचायतों में नियमित जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगाः

- बालिकाओं के महत्व और कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कानूनों की जानकारी।
- बालिकाओं के लिए शिक्षा का महत्व और उपलब्ध शैक्षणिक अवसर।
- पोक्सो अधिनियम के तहत प्रावधान और सुरक्षा तंत्र।
- पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लाभ।
- महिलाओं और बच्चों के विधिक अधिकार और हक।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका और कार्य और उपलब्ध विधिक सहायता सेवाएँ।

इन कार्यक्रमों में सामुदायिक बैठकें, कार्यशालाएँ, नुक्कड़ नाटक, सूचनात्मक एवं जागरूकता सामग्री का वितरण और स्थानीय प्रभावशाली लोगों की भागीदारी जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाएगा।

✧ **हरित पहल – वृक्षारोपण अभियानः**

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संबंधित पंचायतों और राज्य वन विभाग के सहयोग से, चयनित पंचायतों में प्रत्येक बालिका के जन्म पर न्यूनतम ग्यारह (11) पौधे लगाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे।

इन पौधों की प्रारंभिक देखभाल और पोषण की जिम्मेदारी सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रोत्साहित व सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें नवजात बालिका के परिवार और स्थानीय महिला समूहों को शामिल किया जाएगा।

- The Forest Department will provide saplings and assistance in planting the same and future maintenance.

✧ **Unique Identity Card for the 'Green Girl':**

- The DLSA will issue a special, unique identity card to every girl child born within the selected Panchayats who is associated with the green movement (through the tree plantation initiative).
- This card will symbolically link the girl child with environmental protection and will contain:
  - ➢ The name and date of birth of the girl child.
  - ➢ The name of the Panchayat.
  - ➢ A unique identification number.
  - ➢ The helpline numbers of NALSA, RSLSA and DLSAs.
  - ➢ Basic information about available legal aid services.

✧ **Facilitating Access to Legal Services and Public Welfare Schemes:**

- The issuance of the unique identity card will serve as a point of contact for the legal services institutions to reach out to families and provide necessary assistance.
- The DLSA will proactively engage with the families of the 'Green Girls' to offer information and support regarding:
  - ➢ Access to medical facilities and healthcare schemes.
  - ➢ Educational opportunities and relevant government schemes.
  - ➢ Available social protection programs.

Legal aid and assistance in case of need, particularly related to child rights, women's rights, and POCSO offences.

- वन विभाग पौधे उपलब्ध कराएगा तथा उन्हें लगाने और भविष्य में उनके रखरखाव में सहायता करेगा।

**❖ 'हरित बालिका' के लिए विशिष्ट पहचान पत्रः**

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चयनित पंचायतों में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी करेगा, जो हरित आंदोलन (वृक्षारोपण पहल के माध्यम से) से जुड़ी है।
- यह कार्ड प्रतीकात्मक रूप से बालिका को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ेगा और इसमें निम्नलिखित जानकारी होगीः
  - ➢ बालिका का नाम और जन्म तिथि।
  - ➢ पंचायत का नाम।
  - ➢ एक विशिष्ट पहचान संख्या।
  - ➢ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर।
  - ➢ उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं के बारे में बुनियादी जानकारी।

**❖ विधिक सेवाओं और लोक–कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को सुगम बनानाः**

- विशिष्ट पहचान पत्र जारी करना, जो विधिक सेवा संस्थानों के लिए परिवारों तक पहुँचने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क बिंदु के रूप में काम करेगा।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 'हरित बालिका' के परिवारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेगा और उन्हें निम्नलिखित के बारे में जानकारी और सहायता प्रदान करेगाः
  - ➢ चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवा योजनाओं तक पहुँच।
  - ➢ शैक्षिक अवसर और प्रासंगिक सरकारी योजनाएँ।
  - ➢ उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम।
  - ➢ जरूरत पड़ने पर विधिक सहायता और सहायता, जो विशेष रूप से बाल अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और पोक्सो अपराधों से संबंधित होगी।

## ➢ Collaboration and Coordination:

- The RSLSA and DLSAs will work in close collaboration with the Department of Women and Child Development, the Forest Department, Panchayati Raj Institutions, local NGOs, and community-based organizations for the effective implementation of the scheme.
- DLSA Secretary will be the nodal officer for the scheme who will ensure overall implementation of the scheme and will convene regular coordination meetings at Panchayat and District levels to review progress, address challenges, and ensure synergy among stakeholders.
- Minutes of above meetings shall be shared with RSLSA for overall monitoring at State level.

## ➢ Monitoring and Evaluation:

The RSLSA will establish a robust monitoring and evaluation framework to track the progress and impact of the 'सृजन की सुरक्षा'.

## ➢ Key indicators for performance:

- Changes in sex ratio at birth in the selected Panchayats.
- Enrollment and retention rates of girls in schools.
- Number of POCSO cases reported and resolved.
- Number of saplings planted and their survival rate.
- Level of awareness among communities regarding relevant laws and legal services.
- Number of families availing legal and social assistance.

The DLSAs will prepare periodic reports which will be reviewed by the RSLSA.

➢ **सहयोग और समन्वयः**

- योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के साथ मिलकर काम करेंगे।
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के लिए नोडल अधिकारी होंगे, जो योजना के समग्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे और क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने, चुनौतियों का समाधान करने और हितधारकों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए पंचायत और जिला स्तर पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करेंगे।
- उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त राज्य स्तर पर समग्र निगरानी के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किये जाएंगे।

➢ **निगरानी और मूल्यांकनः**

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 'सृजन की सुरक्षा योजना' की प्रगति और प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन ढांचा स्थापित करेगा।

➢ **मूल्यांकन के प्रमुख आधारः**

- चयनित पंचायतों में जन्म के समय लिंग अनुपात में हुए परिवर्तन।
- स्कूलों में लड़कियों के नामांकन और अध्ययन निरंतर रखने की दर।
- रिपोर्ट किए गए और हल किए गए पोक्सो मामलों की संख्या।
- रोपे गए पौधों की संख्या और उनकी जीवित रहने की दर।
- प्रासंगिक कानूनों और कानूनी सेवाओं के बारे में समुदायों के बीच जागरूकता का स्तर।
- कानूनी और सामाजिक सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवधिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसकी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की जाएगी।

## ➢ Funds for implementation:

A detailed budget for the implementation of this scheme will be prepared by RSLSA, outlining the financial requirements for awareness campaigns, printing of identity cards, logistical support for plantation drives, and other related activities. The expenses for implementation of the Scheme will be met from the funds under Section 4(c) of Legal Services Authorities Act, 1987. Collaboration with government departments and potential partnerships with NGOs for resource mobilization will also be explored.

## ➢ Sustainability:

To ensure the long-term sustainability of the scheme, emphasis will be placed on:

- Fostering community ownership and participation.
- Capacity building of local stakeholders, including Panchayat representatives and community leaders.
- Integrating the scheme's objectives with existing government programs and initiatives.
- Generating awareness and promoting the replicability of successful models in other Panchayats.

**रालसा वन एवं बालिका वर्ष 2025** 'सृजन की सुरक्षा ' represents a significant step by the Rajasthan State Legal Services Authority towards promoting Eco-Feminism at the grassroots level. By recognizing the interconnectedness of women's empowerment and environmental protection, and by actively engaging with local communities and leveraging the legal services framework, this scheme is a novel initiative to bring about positive and sustainable change in the lives of girl child & women and the environment in Rajasthan.

*****

## ➢ कार्यान्वयन के लिए बजटः

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत बजट राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें जागरूकता अभियान, पहचान पत्रों की छपाई, वृक्षारोपण अभियान के लिए रसद सहायता और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की रूपरेखा होगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4(सी) के तहत प्रदत्तनिधियों से किया जाएगा। संसाधन जुटाने के लिए सरकारी विभागों के साथ सहयोग और गैर–सरकारी संगठनों के साथ संभावित साझेदारी पर भी कार्य किया जाएगा।

## ➢ योजना की दीर्घकालिक निरंतरताः

'सृजन की सुरक्षा योजना' की दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित पर जोर दिया जाएगाः

- सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी को बढ़ावा देना।
- पंचायत प्रतिनिधियों और सामुदायिक नेताओं सहित स्थानीय हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना।
- मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों और कार्ययोजनाओं के साथ योजना के उद्देश्यों को एकीकृत करना।
- जागरूकता पैदा करना और अन्य पंचायतों में सफल मॉडलों का अनुसरण करना।

**रालसा वन एवं बालिका वर्ष 2025** 'सृजन की सुरक्षा' राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जमीनी स्तर पर ईको–फेमिनिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के पारस्परिक महत्व को पहचानकर, स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर तथा विधिक सेवाओं के ढ़ांचे का लाभ उठाकर, यह योजना राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं के जीवन और पर्यावरण में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है।

*****

## [1]The Piplantri Village Development Model

The Piplantri Village is located in District Rajsamand in the south western area of State of Rajasthan. This village has turned up as the first of its kind model village in the country where the concept of eco-feminism has been evolved by the then lesser known common citizen of village who got elected later as a Sarpanch. The story begins with the vision of a person who was struggling in a remote village Piplantri surrounded by marble mines. The village and the adjoining area is a commercial hub of mining activities and some of best white marble is excavated from the mines located around small villages. The uncontrolled exploitation of the area resulted into trade encroachment of public land by the mining tycoons. This proved to be a great disadvantageous activity for the village environment and general health of the people than proving to be uplifting of the life of inhabitants. The poor villagers witnessed the grave exploitation of immense natural resources through heavy machines and to utter dismay the loss of clean air and water for the poor persons. The toxicity of water and air increased and green patch gone to ashes due to marble slurry and waste dumped here and there around the villages.

The aforesaid exploitation of natural resources diminished the fauna and flora and the ecology of the area. The villagers lost their common land meant as grazing field for the animals as the same got filled up with debris and slurry. The green forest which used to be the life line of common citizens turned up into barren heap of debris and stones.

This difficult state of affairs was a great challenge for the villagers and at this juncture, a person with a noble vision came to their rescue. Shri Shyam Sunder Paliwal, around 20 years back, got elected as Sarpanch of the village and took a pledge for village

# [1]पिपलांत्री गांव का विकास मॉडल

पिपलांत्री गांव राजस्थान के दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र में राजसमंद जिले में स्थित है। यह गांव देश में अपनी तरह का पहला ऐसा आदर्श गांव बन गया है, जहां गांव के उस समय के एक आम नागरिक द्वारा ईको–फेमिनिज्म की अवधारणा विकसित की गई, जो बाद में गांव के सरपंच के रूप में निर्वाचित हुआ। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के विजन से शुरू होती है, जो संगमरमर की खदानों से घिरे एक सुदूर गांव पिपलांत्री में संघर्ष कर रहा था। यह गांव और आसपास का क्षेत्र खनन गतिविधियों का एक व्यवसायिक केंद्र है जिनके आसपास स्थित खदानों से बेहतरीन सफेद संगमरमर का खनन किया जाता है। इस क्षेत्र में खानों के अनियंत्रित दोहन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया था। यह खनन गतिविधियां स्थानीय निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कारगर साबित होने के स्थान पर गांव के पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुई। भारी मशीनों से अपार प्राकृतिक संसाधनों के घोर दोहन के कारण गरीब लोगों के लिए स्वच्छ हवा व पानी की कमी के बेहद निराशाजनक हालात मौजूद हो गये थे। गांव के आसपास जगह–जगह फेंके गए संगमरमर के मलबे और कचरे के कारण पानी और हवा में विषाक्तता बढ़ गई और हरियाली विलुप्त हो गई।

प्राकृतिक संसाधनों के इस दोहन ने क्षेत्र के जीव–जंतुओं, वनस्पतियों एवं पारिस्थितिकी को नष्ट कर दिया। मलबे और गारे से भरने के कारण गांव की ऐसी सार्वजनिक भूमि खत्म हो गई जो पशुओं के चारागाह के रूप में काम में आती थी। हरा–भरा जंगल जो आम नागरिकों की जीवन रेखा हुआ करता था, वह मलबे और पत्थरों के बंजर ढेर में बदल गया था।

यह कठिन परिस्थिति ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इस मोड़ पर एक नेक सोच वाले व्यक्ति ने उनकी मदद की। श्री श्याम सुंदर पालीवाल, जो लगभग 20 साल पहले गांव पिपलांत्री के सरपंच चुने गए थे, उन्होंने ग्रामीणों के माध्यम से जमीनी स्तर पर सहयोग प्रदान करके

development by implementing the government schemes by providing grass-root cooperation through the villagers. When this gentleman was toiling hard to revamp the site with green, he unfortunately lost her young daughter on account of dehydration. This difficult time moved this man to a greater motive and dedication. He introduced an unparalleled concern in the village now known as eco-feminism. This was planned around 20 years back to plant 111 trees on the birth of every girl child in the village. The whole village joined hands with its Sarpanch for this noble cause and here commenced an era of green forestation.

With the passage of time, these small steps made this village and surroundings a man-made forest. The family in which the girl was born adopted the trees planted by them as their sons and took care of their growth and development. This further strengthened the bond between human and nature as the plantation marked the birth of a girl child, the grown girls of the village treated these tress as their brothers to celebrate it in a more happening and pious manner by tying Rakhis to these trees and thus the village also boast about a special festival called as Vriksha Raksha Sutra' festival.

To make the girls more self-reliant and economically independent, the villagers introduced a 'Sukanya Samridhi Account' in the name of their daughters, a kind of fixed deposit for their welfare. The amount so deposited is useful for their higher education.

The above initiative created a great environmental awareness and later enroped the interested persons working in the field of environment programmes. The festivity introduced through tradition invited environment lovers not only from India but from foreign countries as well and thus an another chapter added to the story of village which now hosts exchange programmes in the field of

सरकारी योजनाओं को लागू करवा कर गांव के विकास का संकल्प लिया। जब यह व्यक्ति इस जगह को हरा–भरा बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, तभी दुर्भाग्य से निर्जलीकरण के कारण उसकी युवा बेटी का देहान्त हो गया। इस कठिन समय ने इस व्यक्ति को अपने संकल्प के प्रति और अधिक उद्देश्य और समर्पण की ओर प्रेरित किया। उन्होंने गांव वालों के सामने एक अनूठी पहल रखी, जिसे अब ईको–फेमिनिज्म के नाम से जाना जाता है। इस अनूठी पहल के तहत गांव में हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की योजना करीब 20 साल पहले बनाई गई थी। पूरे गांव ने इस नेक काम के लिए अपने सरपंच से हाथ मिलाया और यहां से हरित वनीकरण का युग प्रारंभ हुआ।

समय बीतने के साथ, इस महत्वपूर्ण कदम ने गांव और आसपास के क्षेत्र को मानव निर्मित हरे भरे जंगल में बदल दिया। जिस भी परिवार में लड़की का जन्म होता था, वे उनके द्वारा लगाए गए पेड़ों को अपने बेटों की तरह अपनाते और उनकी वृद्धि और विकास का ध्यान रखते थे। इसने मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को और अधिक मजबूत किया, पौधारोपण का कार्य गांव में लड़की के जन्म से जुड़ गया। गांव की बड़ी लड़कियों ने इन पेड़ों को अपना भाई मानते हुए इन्हें राखी बांधना प्रारंभ कर दिया और पूरे गांव में 'वृक्ष रक्षा सूत्र' नाम से त्यौहार मनाया जाने लगा।

लड़कियों को अधिक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए, ग्रामीणों ने अपनी बेटियों के नाम पर 'सुकन्या समृद्धि खाता' योजना शुरू की, जो उनके कल्याण के लिए एक प्रकार की सावधि जमा राशि है। इस प्रकार जमा की गई राशि उनकी उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई।

उपर्युक्त कार्ययोजना ने पर्यावरण के प्रति भारी जागरूकता पैदा की और बाद में पर्यावरण कार्यक्रमों के क्षेत्र में काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति भी इसमें शामिल हो गये। परंपरा के माध्यम से शुरू किए गए इस उत्सव ने न केवल भारत से, बल्कि विदेशों से भी पर्यावरण प्रेमियों को

conservation of environment and water. Piplantri has become a model village for environment lovers and anyone can witness this story by roaming around the trees like Amla, Mango, Pomegranate, Mulberry etc. planted on the barren exploited lands. This story has another facet as well. The environmentally awakened and educated society forced the land grabbers and encroachers to vacate such land giving more space for further plantation and development of the natural resources.

These decade long efforts changed the eco-system of the village which now happily boast about increased water level, clean air, better milching animal stock and so on. This success story further invited attention of the government. Various government related civil amenities quickly came to the village such as construction of annicuts, development of roads, supply of potable water etc. Now this village is a model for environmental protection, water conservation and female empowerment. The village has been recently visited by various government dignitaries including His Excellency Governor of Rajasthan, Chief Minister and Ministers of the Government of Rajasthan and everybody has loudly appreciated the efforts. The Government of Rajasthan in order to give more significance to this concept of eco-feminism has brought a training centre in Piplantri for water management. Now hundreds of public representatives and officers are being educated about the ecology and modern water conservation. The development model of this village is now in the education curriculum in the countries like Denmark, Canada, America and Japan.

The efforts of Shri Shyam Sunder Paliwal,the man behind the rejuvenation of the entire village drew the attention at Government of India also and he has been awarded the reputed Laurel 'Padam Shree'.

आकर्षित किया गया और इस तरह गाँव की कहानी में एक और अध्याय जुड़ गया, जो अब पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में आदान–प्रदान कार्यक्रम आयोजित करता है। पिपलांत्री गाँव पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक आदर्श गाँव बन गया है और बंजर भूमि पर लगाए गए आंवला, आम, अनार, शहतूत, आदि पेड़ों के आसपास घूमकर कोई भी व्यक्ति इस कहानी का गवाह बन सकता है। इस कहानी का एक पहलू यह भी है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक और शिक्षित समाज ने भूमि हड़पने वाले अतिक्रमणकारियों को भूमि खाली करने के लिए मजबूर कर दिया जिससे वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों के विकास की इस पहल को और अधिक मजबूती मिली।

एक दशक से चल रहे इन प्रयासों ने गांव के पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है, जो अब भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, स्वच्छ हवा, बेहतर दुधारू पशुओं, आदि से भरपूर है। इस सफलता की कहानी ने सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया। गांव में शीघ्र ही नागरिकों से संबंधित विभिन्न सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिनमें एनीकट का निर्माण, सड़कों का विकास, पेयजल आपूर्ति, आदि शामिल हैं। अब यह गाँव पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और महिला सशक्तीकरण के लिए एक आदर्श गाँव है। हाल ही में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार के मंत्रियों सहित विभिन्न गणमान्य लोगों ने इस गाँव का दौरा किया और सभी ने इन अनूठे प्रयासों की खुले दिल से सराहना की है। राजस्थान सरकार ने ईको–फेमिनिज्म की इस अवधारणा को और अधिक महत्व देने के लिए जल प्रबंधन हेतु पिपलांत्री गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है। अब सैकड़ों जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को पारिस्थितिकी और आधुनिक जल संरक्षण के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। इस गांव का विकास मॉडल अब डेनमार्क, कनाडा, अमेरिका और जापान जैसे देशों में शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल है।

पूरे गांव के इस कायाकल्प के पीछे के व्यक्ति श्री श्याम सुंदर पालीवाल के प्रयासों ने भारत सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया और उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि 'पदम श्री' से सम्मानित किया गया।

Inspired by the story of Village Piplantri, many short films and documentaries have also been made which are available on social media platforms. Village Piplantri has also received the 'Nirmal Gram Award'. Piplantri model has been a part of success story in one of the most viewed national show on Television, 'Kaun Banega Crorepati'. Recently, the Rajasthan government has also announced in the budget to develop Piplantri village as a tourist village.

Now Village Piplantri is a kind of model village with high ground water level, pollution free environment, clear drinking water, milching animals in every house, adequate means of irrigation and solar panel in most of the houses. Piplantri has generated its own means of employment by way of small scale industries for medicines and other items made of forest produces.

Piplantri village is a shining example of how a difficult task can be made easy with strong willpower and a small village can attract international recognition. The Piplantri model combines environmental sustainability with gender equality, addressing both the environmental degradation of the village and the societal challenges faced by girls. The initiative has led to significant reforestation, improving the village's environment and sensitization for female empowerment.

*****

पिपलांत्री गांव की कहानी से प्रेरित होकर, कई लघु फिल्में और वृत्तचित्र भी बनाए गए हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उपलब्ध हैं। पिपलांत्री गांव को 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' भी मिला है। पिपलांत्री मॉडल टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले राष्ट्रीय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का भी हिस्सा रहा है। हाल ही में, राजस्थान सरकार ने बजट में पिपलांत्री को एक पर्यटक गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की है।

अब पिपलांत्री गांव एक आदर्श गांव है, जहां भूजल स्तर ऊंचा है, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त है, पीने का साफ पानी है, हर घर में दुधारू पशु हैं, सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं और अधिकांश घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं। पिपलांत्री गांव ने वन उपज से दवाइयां और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए लघु उद्योग स्थापित कर रोजगार के अपने साधन पैदा कर लिये हैं।

पिपलांत्री गांव इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि दृढ़ इच्छाशक्ति से कैसे एक कठिन कार्य को आसान बनाया जा सकता है और एक छोटा सा गांव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। पिपलांत्री मॉडल पर्यावरण संरक्षण को लैंगिक समानता के साथ जोड़ता है, जो गांव के पर्यावरणीय क्षरण और लड़कियों के सामने आने वाली सामाजिक चुनौतियों, दोनों के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। इस पहल से महत्वपूर्ण पुनर्वनीकरण हुआ है, गांव के पर्यावरण में सुधार हुआ है और महिला सशक्तीकरण के लिए जागरूकता बढ़ी है।

*****

## *Notes*

*Notes*

"*Where Daughters Blossom,*
*So Does Nature –*
*A Bond Rooted in Love and Sustainability.*"

**RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY**
Rajasthan High Court Campus, Jaipur Bench
Vidhik Seva Sadan, Vidhik Seva Marg, C-Scheme, Jaipur
Phone No. : 0141-2227481, FAX: 2227602,
Toll Free Help Line 15100/9928900900
Email: rslsajp@gmail.com, website:www.rlsa.rajasthan.gov.in